SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

छत्तीसगढ़ राज्य में वस्तु एवं सेवा कर का विश्लेषणात्मक अध्ययनः सरगुजा संभाग के अम्बिकापुर वृत्त के विशेष सन्दर्भ में

धीरेन्द्र कुमार जायसवाल, शोधार्थी, वाणिज्य विभाग
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़, भारत
विनोद गर्ग, पी–एच.डी., शोध निर्देशक, वाणिज्य विभाग
होलीक्रास वीमेंस कॉलेज, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors

धीरेन्द्र कुमार जायसवाल, शोधार्थी
विनोद गर्ग, पी–एच.डी., शोध निर्देशक
E-mail : jdhirendra10@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 22/05/2025
Revised on : 23/07/2025
Accepted on : 01/08/2025
Overall Similarity : 00% on 24/07/2025

शोध सार

सम्पूर्ण भारत में "एक देश एक कर एक बाजार" की धारणा के साथ 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया। वस्तु एवं सेवा कर लगाने से पूर्व राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के कर लगाती थी और राज्य सरकारों द्वारा एक ही प्रकार की वस्तु अथवा सेवा पर लगाये गये कर की दर में भारी अन्तर था। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात् किसी एक प्रकार की वस्तु का विक्रय होने पर अथवा सेवा प्रदान करने पर सभी राज्य सरकारें एक समान दर से कर लगाने हेतु पावन्द है। इसीलिए वस्तु एवं सेवा कर का प्रचार करते समय इसके लिए 'एक राष्ट्र एक कर' का नारा दिया गया। इस ढांचे ने कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है, कर बाधाओं को कम किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक और आम सहमति पर आधारित दृष्टिकोण ने वित्तीय संबंधों में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाया है, जिससे देश की कर प्रणाली में बेहतर समन्वय और दक्षता आई है। यह कर सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगायें गए कर को वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जाना जाता है। यह कर अंततः वस्तु और सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। करो का बोझ स्थानांतरित किया जा सकता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है एवं इससे पूर्व चलने वाले जिन करों के स्थान पर जीएसटी लगाया गया है, सभी अप्रत्यक्ष कर थे। यह बदलाव कोई पुराने के स्थान पर नये कर लगाने जैसी सामान्य घटना नहीं है बल्कि कर व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण सुधार (Reform) है।

मुख्य शब्द

कर प्रणाली, सेवा कर, बदलाव, उपभोक्ता, अप्रत्यक्ष कर, आपूर्ति.

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक प्रभावी आर्थिक सुधार के रूप में सम्पूर्ण भारत में "एक देश एक कर एक बाजार" की धारणा के साथ 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू हो गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366/12। के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर। अनुच्छेद 366/12। में प्रयुक्त शब्द 'आपूर्ति' है न कि 'बिक्री'। इस प्रकार, यह छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। स्टॉक ट्रांसफर, शाखा ट्रांसफर भी जीएसटी के दायरे में आते हैं।

जीएसटी एक उपभोग या गंतव्य आधारित कर है। यह उस राज्य में देय है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उपभोग किया जाता है। यह एक संघीय कर है जिसमें केंद्र व राज्यों की समान भागीदारी होती है।

वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य पहलू

- गन्तव्य आधारित कर।
- द्विविध करारोपण ढाँचा।
- कर की केवल 5 दरें।
- छोटे व्यापारियों के लिए कर मुक्ति की परिसीमा और पंजीकरण से मुक्ति।
- मध्यम स्तर के व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं के लिए संयुक्त या सम्मिश्रण योजना।
- सीजीएसटी एवं एसजीएसटी में एकरुपता।
- निवेश कर जमा ITC का लाभ।
- एचएसएन या एसएसी कोड का प्रयोग।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा को समझना और जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति, कर उगाही, कर संग्रह, कर वसूली आदि का अध्ययन करना।
2. सरगुजा संभाग में वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन एवं क्रियान्वयन का विश्लेषण करना।
3. वस्तु एवं सेवा कर का विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों पर होने वाले प्रभाव एवं उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना।

परिकल्पनाएँ

1. सरगुजा संभाग के व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को समझने में परेशानी हो रही है।
2. वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से सरगुजा संभाग के व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
3. वस्तु एवं सेवा कर के तहत आगम कर जमा (Input Tax Credit) का लाभ व्यापारियों को पूर्ण रूप से नही मिल पा रहा है।

प्रतिदर्श का चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंतर्गत सरगुजा संभाग के मुख्यालय एवं प्रमुख व्यापारिक नगर अम्बिकापुर को आधार बनाया गया है। न्यादर्श प्रणाली से विभिन्न कारोंबारों से जुड़े 50 व्यापारियों का चयन कर प्रत्यक्ष साक्षात्कार

के माध्यम से प्राथमिक समंकों का संग्रहण किया गया है, जिसमें 12 कपड़ा व्यवसायी (पुरूष 11, महिला 01), 05 होटल व्यवसायी (पुरूष 05, महिला 00), 07 इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी (पुरूष 05, महिला 02), 10 किराना व स्टेशनरी व्यवसायी (पुरूष 10, महिला 00), 04 मेडिकल व्यवसायी (पुरूष 04, महिला 00), 06 मनिहारी व्यवसायी (पुरूष 01, महिला 05) एवं 06 हार्डवेयर व्यवसायी (पुरूष 03, महिला 03) शामिल हैं। इस प्रकार उत्तरदाता व्यापारियों में 78 प्रतिशत पुरूष एवं 22 प्रतिशत महिला उत्तरदाता व्यापारी हैं।

सर्वेक्षित उत्तरदाता व्यापारियों में 11 (22 प्रतिशत) व्यापारी अपंजीकृत श्रेणी के, 29 (58 प्रतिशत) स्थायी पंजीकृ त श्रेणी के तथा 10 (20 प्रतिशत) व्यापारी कम्पोजिट स्कीम श्रेणी के हैं।

सारणी क्रमांक 1: जीएसटी के संबंध में उत्तरदाता व्यापारियों का अभिमत

क्र.	विवरण	हॉ	नही	कोई अभिमत नही	योग
1.	क्या आप जीएसटी से सम्बंधित नियमों से भलीभांति परिचित है?	29	19	02	50
2.	क्या जीएसटी लागू किया जाना उचित है?	38	09	03	50
3.	क्या जीएसटी में कर की गणना सरल हैं ?	29	18	03	50
4.	क्या आपको इनपुट क्रेडिट का लाभ पूर्ण रूप से मिलता हैं ?	27	09	14	50
5.	इनपुट क्रेडिट के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को करों का भुगतान किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आपको आईटीसी से वंचित कर देना सही हैं ?	24	12	14	50

अम्बिकापुर वृत्त में जीएसटी एवं इनपुट क्रेडिट के संबंध में अलग–अलग प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाता व्यापारियों का अभिमत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, जो इस प्रकार है:

- **क्या आप जीएसटी से सम्बंधित नियमों से भलीभांति परिचित है:** इस संबंध में 29 (58 प्रतिशत) व्यापारियों ने जीएसटी से सम्बंधित नियमों से भलीभांति परिचित होने, 19 (38 प्रतिशत) ने परिचित नही होने एवं 02 (4 प्रतिशत) ने कोई अभिमत नहीं दिया है।
- **क्या जीएसटी लागू किया जाना उचित है:** इस संबंध में 38 (76 प्रतिशत) व्यापारियों की राय में जीएसटी लागू करना उचित है, 09 (18 प्रतिशत) की राय में जीएसटी लागू करना उचित नही है एवं 03 (6 प्रतिशत) व्यापारियों ने कोई अभिमत नहीं दिया है।
- **क्या जीएसटी में कर की गणना सरल हैं:** इस संबंध में उत्तरदाता व्यापारियों में 29 (58 प्रतिशत) के अनुसारजीएसटी में कर की गणना सरल है, 18 (36 प्रतिशत) के अनुसार जीएसटी में कर की गणना सरल सरल नही है तथा 03 (6 प्रतिशत) ने कोई अभिमत नहीं दिया।
- **क्या आपको इनपुट क्रेडिट का लाभ पूर्ण रूप से मिलता हैं:** इस संबंध में 27 (54 प्रतिशत) उत्तरदाता व्यापारियों ने इनपुट क्रेडिट का लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त होने, 09 (18 प्रतिशत) ने इनपुट क्रेडिट का लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होने तथा 14 (28 प्रतिशत) ने कोई अभिमत नहीं दिया है।
- इनपुट क्रेडिट के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को करों का भुगतान किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आपको आईटीसी से वंचित कर देना सही हैं, के संबंध में 24 (48 प्रतिशत) उत्तरदाता व्यापारियों में इसे सही और 12 (24 प्रतिशत) ने सही नही बताया है, जबकि 14 (28 प्रतिशत) ने कोई अभिमत नहीं दिया है।

सारणी क्रमांक 2: जीएसटी के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाता व्यापारियों का अभिमत

क्र.	विवरण	हॉ	नही	कोई अभिमत नही	योग
1	जीएसटी से व्यापार करना सरल हुआ है?	25	20	05	50
2	जीएसटी के लागू होने से पूर्व की तुलना में करों में कमी हुई है?	30	12	08	50
3	जीएसटी से आर्थिक बोझ कम हुआ हैं?	24	18	08	50

4	जीएसटी से इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया हैं?	25	15	10	50
5	लेखाकार्य का अतिरिक्त भार बढ़ा है?	29	17	04	50
6	जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारियों को समय–समय पर जागरूक करने के पर्याप्त प्रयास (कार्यशाला, सेमीनार, संगोष्ठी आदि) किये गये हैं?	18	22	10	50
7	जीएसटी के कारण वस्तुओं के मूल्य कम हुए है?	19	17	14	50
8	जीएसटी को ग्राहक आसानी से समझ जाते है?	27	12	11	50

जीएसटी के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाता व्यापारियों के अभिमत का विवरण इस प्रकार है:

- **जीएसटी से व्यापार करना सरल हुआ है:** इस संबंध में 25 (50 प्रतिशत) उत्तरदाता व्यापारियों ने हॉ में, 20 (40 प्रतिशत) ने नहीं में एवं 05 (10 प्रतिशत) ने अपना कोई अभिमत नहीं दिया।
- **जीएसटी के लागू होने से पूर्व की तुलना में करों में कमी हुई है:** इस संबंध में 30 (60 प्रतिशत) उत्तरदाता व्यापारियों ने हाँ में, 12 (24 प्रतिशत) ने नहीं में एवं 08 (16 प्रतिशत) ने अपना कोई अभिमत नहीं दिया।
- **जीएसटी से आर्थिक बोझ कम हुआ हैं:** के संबंध में 24 (48 प्रतिशत) उत्तरदाता व्यापारियों ने हाँ में, 18 (36 प्रतिशत) ने नहीं में एवं 08 (16 प्रतिशत) ने अपना कोई अभिमत नहीं दिया।
- **जीएसटी से इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया हैं:** इसके उत्तर में 25 (50 प्रतिशत) उत्तरदाता व्यापारियों नेहाँ में, 15 (30 प्रतिशत) ने नहीं में एवं 10 (20 प्रतिशत) ने कोई अभिमत नहीं दिया।
- **जीएसटी से लेखाकार्य का अतिरिक्त भार बढ़ा है:** के संबंध में 29 (58 प्रतिशत) उत्तरदाता व्यापारियों ने हाँ में, 17 (34 प्रतिशत) ने नहीं में एवं 04 (8 प्रतिशत) ने कोई अभिमत नहीं दिया।
- जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारियों को समय–समय पर जागरूक करने के पर्याप्त प्रयास (कार्यशाला, सेमीनार, संगोष्ठी आदि) किये गये हैं, इसके उत्तर में 18 (36 प्रतिशत) उत्तरदाता व्यापारियों ने हाँ में, 22 (44 प्रतिशत) ने नहीं एवं 10 (20 प्रतिशत) ने कोई अभिमत नहीं दिया है।
- जीएसटी के कारण वस्तुओं के मूल्य कम हुए है, के उत्तर में 19 (38 प्रतिशत) उत्तरदाता व्यापारियों ने हाँ में, 17 (34 प्रतिशत) ने नहीं एवं 14 (28 प्रतिशत) ने कोई अभिमत नहीं दिया है।
- जीएसटी को ग्राहक आसानी से समझ जाते है, इसके उत्तर में 27 (54 प्रतिशत) उत्तरदाता व्यापारियों ने हाँ में, 12 (24 प्रतिशत) ने नहीं एवं 11 (22 प्रतिशत) ने कोई अभिमत नहीं दिया है।

जीएसटी की समस्याएँ

- रिटर्न की संख्या बहुत ज्यादा होने से व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है।
- रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही है जिससे सामान्य व्यक्ति नहीं भर सकता है। रिर्टन फाइल में गलती होने पर सुधार की सुविधा न के बराबर है।
- खाता बही रखने और मेन्टेन करने के लिए भी अलग से आदमी की जरूरत पड रही है।
- जीएसटी ट्रिब्यूनल नही आ पाया है। इसके कारण किसी विवाद की स्थिति में सीधा उच्च न्यायालय जाना पडता है।
- जीएसटी पोर्टल में भी तकनीकी समस्याएॅ ;ज्मबीदपबंस ैनमेद्ध बहुत है, जिससें लोगो को व्यापार करने में समस्या आ रही है।
- अधिकारियों को बहुत पावर दे दिया गया है, जिससें उपभोक्ता/व्यापारी परेशान है। इंस्पेक्टर राज कायम हो गया है और भष्ट्राचार बढ़ रहा है।

जीएसटी की सफलता हेतु सुझाव

- सहजता एवं निर्भयता का माहौल तैयार किया जाना चाहिये।
- जीएसटी कानून को सरल बनाना आवश्यक है।
- जीएसटी पोर्टल की सुविधा सुचारू एवं निर्बाध होनी चाहिये।
- जीएसटी लेखा कार्य के लिये सरल एवं सुलभ सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- मासिक रिर्टन के स्थान पर तिमाही रिर्टन का प्रावधान होना चाहिये।
- कर की दरों का युक्तिकरण किया जाना चाहिये।
- ई–वे बिल की विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिये।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिये।
- रिवर्स चार्ज के प्रावधान को हमेशा के लिए समाप्त किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

जीएसटी अब भारतीय राजस्व व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग बन गया है। इस ढांचे ने कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है, कर बाधाओं को कम किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक और आम सहमति पर आधारित दृष्टिकोण ने वित्तीय संबंधों में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाया है, जिससे देश की कर प्रणाली में बेहतर समन्वय और दक्षता आई है। जीएसटी के बेहतर क्रियान्वयन के लिये सरकार को रचनात्मक पहल करनी चाहिये और इसकी व्यावहारिक समस्याओं को दूर करना चाहिये दूसरी तरफ व्यापारियों को भी इस कर के प्रति नकारात्मक भाव त्याग कर ईमानदारी से व्यापार व्यवसाय करने की प्रवृति अपनाना चाहिए। जीएसटी अब सरकार और व्यापार दोनों के लिए अनिवार्य नियति है। इसे परेशानी मानने के बजाय अच्छे अवसर के रूप में स्वीकार किया जाना नितान्त आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. सोनी, खगेन्द्र कुमार; त्यागी, आर. के. (2021–22) *वस्तु एवं सेवा कर,* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, उ.प्र., पृ. 5।
2. मेहरोत्रा, एच. सी.; अग्रवाल, वी. पी.; एवं सोनी, के. के., (2024) *अप्रत्यक्ष कर,* 14वां संस्करण, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, उ.प्र., पृ. 130 से 133।
3. सकलेचा, श्रीपाल; एवं सकलेचा, अमित (2018–19) माल एवं सेवाकर, सतीष प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, इन्दौर, म. प्र., पृ. 3।
4. साह, सी. के.; मंगल, एस. के.; शर्मा, विजय कुमार, (2021–22) *वस्तु एवं सेवा कर,* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, उ.प्र., 5वां संस्करण, पृ. 1.1 से 1.2।
5. https://cleartax.in/s/impact-of-gst-on-indian-economy/, Accessed on 20/05/2025/ Time 5.50pm.
6. https://sarguja.go.in/, Accessed on 12/01/25/, Time 6.40pm.
7. https://gstgovt.in/, Accessed on 20/05/25/, Time 5.50pm.

****